



कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfomus-forest-uk@nic.in

Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक - 1647 / 12-1

मसूरी, दिनांक - 14 / 10 / 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषय :- जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कार्लीगाड) से नालीकंला मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-11.425) के नव निर्माण हेतु 9.194 है० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 गैर वानिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाइ० सिचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। (FP/UK/ROAD/13657/2015)

सन्दर्भ :- नोडल कार्यालय द्वारा ऑनलाईन इंगित कमियां दिनांक- 15-09-2020।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में इंगित आनलाईन ई०डी०एस० कमियों का प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निराकरण कर प्रतिउत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है, जो कि आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र० सं०	कमियां	निराकरण
1.	With reference to the EDS raised by RO MOEF&CC, GOI Dated 16-01-2020, for point no.2 "State Government May submit request for re-opening of the proposal in view of the para 1.20 of guidelines." Reply furnished at your end is not satisfactory.	<p>अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्र सं०/पी.एम.जी.एस.वाइ./सि०ख०.देहरादून दिनांक 10/2/2020 के द्वारा नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्द्रानगर, देहरादून का प्रस्ताव (FP/UK/Road/13657/2015) को पुनर्जीवित करने हेतु अनुरोध किया गया है।(छायाप्रति संलग्न)। साथ ही प्रस्तावक विभाग द्वारा निम्न प्रकार आख्या दी गयी है :-</p> <p>For re-opening of the proposal in view of the para 1.20 of guidelines following condition are fulfilled.</p> <ol style="list-style-type: none"> No changes in the proposal has been made in terms of scope, purpose and other important aspects from original proposal. (certificate attached) All the requires information is being made available as required by forest Department There is delay in providing information due to the fact that from the period from 15-06-2016 to 23-12-2019 various correspondence has been done between our office with DFO and Nodal Office. It is to also mention that various queries had been answered online during this time. There was objection for the Land provided by the Revenue Department which has taken time for finding suitable land at other place. Other reason for delay is that counting of trees has been done for 9 meter width in forest land as it has been done in 7 meter width earlier.

<p>2. With reference to the EDS raised by RO MOEFCC, GOI Dated 16-01-2020, for point no.4 "It is seen that one village i.e. Naliwala s Submitted to be benefited but on perusal of the KML file two habitation seems connecting from the proposed road. State Government may mark the location of the villages in the KML file." Reply furnished at your end is not complete.</p>	<p>इस सम्बन्ध में प्रयोज्य एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि KML file में दिखाई दे रही सम्पूर्ण हेबिटेशन नालीकला ही है। KML file में जो दूसरी हेबिटेशन दिखाई दे रही है वह नालीकला ग्रामसभा में सम्मिलित है एवं मार्ग केवल एक ही हेबिटेशन को जोड़ रहा है। Uploaded KML file में नाली/गांव को चिन्हित कर दिया गया है। नु संख्या-02 के अनुपालन में Village wise breakup at B-2.3 and Component wise breakup at B-2.4 में संशोधन कर सही कर लिया गया है।</p>
<p>3. With reference to the EDS raised by RO MOEFCC, GOI Dated 16-01-2020, for point no.4 "As per DSS analysis 3 ha area found in VDF and ha in MDF proposed in degraded forest area. State Government may change the CA area with some other area suitable for plantation having no MDF& VDF" Reply furnished at your end is not complete</p>	<p>इस सम्बन्ध प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि As par EDS raised by RO MOEFCC, quarry has been made for 17 Ha area (i.e.3 ha for VDF and 14 Ha in MDF proposed in degraded forest area.) hence 17 ha area of land is provided by DFO Musssoorie office. Rest area of 1.38 Ha will be taken from the previous provided degraded forest area 18.388 hectare. Therefore KML file for new degraded forest of 17 ha area is uploaded. Hence 2 nos. KML file are uploaded required for plation in degraded forest.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KML file of 17 hectare is uploaded, from 18.388 hectare suitable degraded land of 1.388 hectare will be used for the plantatioin/Compensatory. 2. KML file of 17 hectare is uploaded. Whole 17 hectare will be used for the plantation/Compensatory afforestation.

अतः महोदय की सेवा में निराकरण/आख्या सादर प्रेषित।

सिलगु-मथोपरी

भवदीया,

(कहकशां नसीम)
उप वन संरक्षक

ce




प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिरासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

Contact No:- +91-135-2769738
Fax: +91-135-2769738
email:
eepmgsydehradun@rediffmail.com

“प्रमाण पत्र”

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा (कार्लीगाड़) से नालीकला मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-11.425) के ऑनलाईन किए गए मूल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के उद्देश्य/समरंखण/कार्य क्षेत्र/अन्य पहलुओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। साथ ही मूल प्रस्ताव के अनुसार ही परियोजना के समस्त कार्यों का सम्पादन कराया जायेगा।


07/10/2028
अधिरासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड
6, इन्दिरा नगर देहरादून



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

Contact No:- +91-135-2769738
Fax: +91-135-2769738
email:
eepmgsydehradun@rediffmail.com

पत्रांक 149 / पी.एम.जी.एस.वाई. / सिं.ख.-दे.दून /

दिनांक 12 / 02 / 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून में सहस्रधारा (कार्लीगाड) से नालीकलां मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.194 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण। (FP/UK/ROAD/13657/2015)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून का पत्रांक-8बी./सू०सी०पी०/06/100/2016/एफ०सी०/2303/दिनांक 16.01.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उपरोक्त प्रस्ताव के विषय में अवगत कराना है, कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 15.06.2016 को ऑनलाईन ई०डी०एस० का प्रतिउत्तर आपत्तियों के निराकरण के साथ दिनांक 23.12.2019 को प्रस्तुत कर दिया गया था। पुनः भारत सरकार द्वारा ई०डी०एस० दिनांक 16.01.2020 के द्वारा अवगत कराया गया, कि ई०डी०एस० दिनांक 15.06.2016 का प्रतिउत्तर विलम्ब से प्राप्त होने के कारण प्रपोजल को पत्र दिनांक 25.09.2017 द्वारा बन्द कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि विभाग द्वारा ई०डी०एस० दिनांक 15.06.2016 का प्रतिउत्तर प्रस्तुत करके लगातार कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड से पत्र व्यवहार किया जाता रहा है और उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण किया गया है, जिसके कारण ई०डी०एस० दिनांक 15.06.2016 का जवाब भारत सरकार को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है।

अतः महोदय से निवेदन है, कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव को पुर्नजीवित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- Time line Sheet



अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड
6-इन्दिरा नगर, देहरादून

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड
6-इन्दिरा नगर, देहरादून